5/शा०/129/249 — 14273 / 24.6.19

संख्या– 1422/33–3–2019–154/2014 टी.सी.

प्रेषक,

प्रीति शुक्ला,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ00प्र0।

पंचायती राज अनुभाग–3 — लखनऊः दिनांकः20 जून, 2019

विषय– दिनांक 22 जून, 2019 को वर्षा जल संरक्षण हेतु राष्ट्रीय जन आन्दोलन/अभियान चलाये जाने के दौरान ग्राम पंचायतों द्वारा की जाने वाली गतिविधियों के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत ही हैं कि जल स्तर में गिरावट के कारण पेयजल के स्रोत लगातार कम होते जा रहे हैं एवं देश के साथ सम्पूर्ण विश्व पेयजल की समस्या से प्रभावित हो रहा है। देश में मानसून के मौसम में देरी के कारण देश के कई हिस्से न केवल पानी की समस्या से प्रभावित हो सकते हैं अपितु कुछ क्षेत्रों को सूखे की स्थिति का भी सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में मानसून मौसम का आरम्भ हमें यह अवसर देता है कि प्राकृतिक रूप से वर्षा जल के संचयन के साथ भूजल संसाधनों के संवर्द्धन की दिशा में संयुक्त रूप से विशेष प्रयास आरम्भ किये जायें।

उक्त के सम्बन्ध में मा0 प्रधानमंत्री जी एवं मा0 मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या क्रमशः ज्येष्ठ 20, शक संवत्, 1991 दिनांक 10 जून, 2019 एवं पत्र संख्या–11012/23/2019–डब्लू/79 दिनांक 15 जून, 2019 की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 22 जून, 2019 को जल संरक्षण को बढ़ावा दिए जाने हेतु जन आन्दोलन का प्रारम्भ करते हुए प्रत्येक ग्राम पंचायत में जल संरक्षण की गतिविधियों हेतु श्रमदान, ग्राम स्तर पर सभाओं का आयोजन किया जाय तथा मा0 प्रधानमंत्री जी द्वारा पत्र के माध्यम से दिए गए संदेश को प्रचारित–प्रसारित कर जन सामान्य को जल संरक्षण हेतु जागरूक बनाया जाय।

उक्त के सम्बन्ध में वर्षाकाल में वर्षा जल संरक्षण तथा भूजल पुनर्भरण के सम्बन्ध में निम्नवत गतिविधियों का संचालन किया जायः–

1. वर्षा जल संचयन हेतु ग्राम पंचायत में स्थित तालाबों/पोखरों की साफ–सफाई एवं निर्माण तथा जलाशयों को अतिक्रमण से मुक्त कराते हुए उन्हें पुनरोपयोगी बनाना।
2. जल संचयन हेतु अधिकाधिक मात्रा में वृक्षारोपण किया जाना।
3. वर्षा जल संचयन हेतु सामुदायिक अथवा व्यक्तिगत स्तर पर स्टोरेज टैंक का निर्माण/स्थापना आदि कार्यवाही किया जाना।
4. भूमिगत जल के पुनर्भरण, घरेलू एवं कृषि में जल के पुनः उपयोग के लिए घरों में जल निकासी के स्थान पर सोख्ता गड्ढों का निर्माण करना।
5. रैलियों के माध्यम से जल संरक्षण पर जन जागरूकता अभियान चलाना।
6. ग्राम तथा विद्यालय स्तर पर छात्र–छात्राओं को जल संरक्षण के प्रति जागरूक करने हेतु नुक्कड़ नाटक, लोक संगीत एवं नृत्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना।
7. सार्वजनिक स्थानों पर जल संरक्षण एवं जल के उचित उपयोग से सम्बन्धित विषयों पर दीवाल लेखन/वॉल पेन्टिंग करवाकर जन जागरूकता अभियान को बढ़ावा देना।

626

DD(P)

2905-S

(प्रवीणा चौधरी)
उप निदेशक पंचायत
पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0
24.6.19

संजय कुमार (RGSA)

Amit Sri.

2— अतः उक्त के क्रम में अपने मण्डल एवं जनपद की समस्त ग्राम पंचायतों में जल संरक्षण हेतु उपरोक्तानुसार कार्यवाही किए जाने तथा उक्त के प्रति जन जागरूकता अभियान को संचालित करने के सम्बन्ध में स्वयं के निर्देशन में रणनीति तैयार कर उसे प्रभावी रूप से क्रियान्वित कराने का कष्ट करें। साथ ही आप स्वयं तथा समस्त वरिष्ठ अधिकारीगण दिनांक 22 जून, 2019 को ग्राम पंचायतों में जल संरक्षण हेतु आयोजित सभाओं एवं श्रमदान की गतिविधियों में शामिल होकर जन समुदाय को प्रेरित करें ताकि जल संरक्षण सम्बन्धी गतिविधियों की ओर जनमानस उत्प्रेरित हो सके।

संलग्नक– यथोक्त।

भवदीया,
20/06/19

(प्रीति शुक्ला)
सचिव।

संख्या व दिनांकः– तदैव।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, शासन को उनके पत्र संख्या–552/पी.एस.एम.एस./2019 दिनांक 20.06.2019 के संदर्भ में।
3. निदेशक, पंचायतीराज उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि प्रकरण में अपने स्तर से भी कार्यवाही करने का कष्ट करें।
4. मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) उ0प्र0।
5. उप निदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, उ0प्र0।
6. समस्त मण्डलीय उप निदेशक(पं0) उ0प्र0।
7. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जोगेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव।

Amit Sri.

2— अतः उक्त के कम में अपने मण्डल एवं जनपद की समस्त ग्राम पंचायतों में जल संरक्षण हेतु उपरोक्तानुसार कार्यवाही किए जाने तथा उक्त के प्रति जन जागरूकता अभियान को संचालित करने के सम्बन्ध में स्वयं के निर्देशन में रणनीति तैयार कर उसे प्रभावी रूप से कियान्वित कराने का कष्ट करें। साथ ही आप स्वयं तथा समस्त वरिष्ठ अधिकारीगण दिनांक 22 जून, 2019 को ग्राम पंचायतों में जल संरक्षण हेतु आयोजित सभाओं एवं श्रमदान की गतिविधियों में शामिल होकर जन समुदाय को प्रेरित करें ताकि जल संरक्षण सम्बन्धी गतिविधियों की ओर जनमानस उत्प्रेरित हो सके।

संलग्नक— यथोक्त।

भवदीया,

(प्रीति शुक्ला)
सचिव।

संख्या व दिनांकः— तदैव।

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, शासन को उनके पत्र संख्या—552 / पी.एस.एम.एस. / 2019 दिनांक 20.06.2019 के संदर्भ में।
3. निदेशक, पंचायतीराज उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि प्रकरण में अपने स्तर से भी कार्यवाही करने का कष्ट करें।
4. मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) उ0प्र0।
5. उप निदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, उ0प्र0।
6. समस्त मण्डलीय उप निदेशक(पं0) उ0प्र0।
7. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जोगेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव।

Amit Sri.